

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 653 सन 2020

अनवान :-

1. गुरुप्रीतसिंह पुत्र भोलासिंह जाति जटसिख निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भोलासिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. गुरुपेन्द्र कौर पुत्री भोलासिंह पत्नी गुरुसेवक सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 09/02/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 15 जेएसएन-बी के खाता संख्या 93/88 की कुल 4.352 हैक् एव रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 40/40 की कुल 2.7830 हैक् एव खाता संख्या 39/40 की कुल 0.7590 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा निरंजनसिंह पुत्र दलीपसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा निरंजनसिंह पुत्र दलीपसिंह के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा निरंजनसिंह पुत्र दलीपसिंह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया उसी के अनुसार काश्त करते आ रहे है किन्तु बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज नहीं है जिसे दर्ज करवाना चाहते है वादी /प्रतिवादी संख्या 1, 2 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी अपने हक हिस्सा एवं बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता निरंजनसिंह पुत्र दलीपसिंह के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की



जाती है तो किसी प्रकार को ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 15 जेएसएन-बी के खाता संख्या 93/88 की कुल 4.352हैक् एव रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 40/40 की कुल 2.7830हैक् एवं खाता संख्या 39/40 की कुल 0.7590हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा निरंजनसिंह पुत्र दलीपसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा निरंजनसिंह पुत्र दलीपसिंह के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा निरंजनसिंह पुत्र दलीपसिंह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया उसी के अनुसार काशत करते आ रहे है किन्तु बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज नहीं है जिसे दर्ज करवाना चाहते है वादी /प्रतिवादी संख्या 1, 2 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 15 जेएसएन-बी के खाता संख्या 93/88 की कुल 4.352हैक् एव रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 40/40 की कुल 2.7830हैक् एवं खाता संख्या 39/40 की कुल 0.7590हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि निरंजनसिंह पुत्र दलीपसिंह के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा निरंजनसिंह पुत्र दलीपसिंह के नाम से दर्ज है वादी के दादा निरंजनसिंह पुत्र दलीपसिंह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है


22


वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथना को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 जेएसएन-बी के खाता संख्या 93/88 की कुल 4.352हैक् जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है मे से प0न0 337/414(79) किला न0 1 ता 3 प्रत्येक 0.2020हैक् , 4 की 0.2030हैक् 5/1 की 0.1770 ,5/2 की 0.0250हैक् गै.मु. रास्ता , 6/1 की 0.2280हैक् 6/2 की 0.0250हैक् , 7 ता 10 प्रत्येक 0.2530हैक् भूमि वादी के नाम एवं शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के यथावत रहेगी तथा रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 40/40 की कुल 2.7830हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे एवं चक 1 बीकेके के खाता संख्या 39/40 की कुल 0.7590हैक् प्रतिवादी संख्या 1 व वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)



सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. गुरप्रीतसिंह पुत्र भोलासिंह जाति जटसिख निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भोलासिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. गुरपेन्द्र कौर पुत्री भोलासिंह पत्नी गुरसवेक सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 653 सन 2020 निर्णय दिनांक- 09/02/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 जेएसएन-बी के खाता संख्या 93/88 की कुल 4.352हैक् जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है मे से प0न0 337/414(79) किला न0 1 ता 3 प्रत्येक 0.2020हैक् , 4 की 0.2030हैक् 5/1 की 0.1770 ,5/2 की 0.0250हैक् गौ.मु. रास्ता , 6/1 की 0.2280हैक् 6/2 की 0.0250हैक् , 7 ता 10 प्रत्येक 0.2530हैक् भूमि वादी के नाम एवं शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के यथावत रहेगी तथा रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 40/40 की कुल 2.7830हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे एवं चक 1 बीकेके के खाता संख्या 39/40 की कुल 0.7590हैक् प्रतिवादी संख्या 1 व वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)